अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

रजि. नं. 1231/2011

आरक्षण महारैली

दिनांक : 23–12–2012 (रविवार)

प्रातः 10.00 बजे

स्थान : उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास, जयपुर

अपील

प्रिय साथियों,

आपको विदित है कि आरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों को लेकर दिनांक 28.11.2012 को आरक्षण महारैली का आयोजन रखा गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति के पांच मंत्रियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री के सचिव श्री निरंजन आर्य जो वहां उपस्थित थे को 10 दिन में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये थे। इसी कारण रैली स्थगित की गई थी। लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी कारण अब आरक्षण महारैली दिनांक 23 दिसम्बर 2012 (रविवार) को रखी गई है।

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण यथावत रखा गया है लेकिन 16%+12% तक सीमित कर वरिष्ठता में आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। रोस्टर की भी पालना नहीं की जा रही है। विभिन्न राइडर लगाकर हमें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के मूल आरक्षण को ही समाप्त करने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं।

संसद में 112वें बिल की स्थिति असमंजस में है, आरक्षण कानून के बारे में केन्द्र सरकार मौन है। ऐसा लगता है कि हर स्तर पर हमारे अधिकारों व हितों पर कुठाराघात हो रहा है।

सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर प्रदेश व देश में विषमता विद्यमान है। उसके बारे में सरकार, देश तथा समाज भली भांति परिचित है। समाज में आर्थिक विषमता दूर करने के लिये किसी भी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, आर्थिक विषमता को उपेक्षित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान अजा, जजा वर्ग की सामाजिक–राजनैतिक एकता व विकास के उद्देश्यों को लेकर कार्यरत है, देश में राजकीय व अन्य सेवाओं में वर्तमान व भावी पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित हो, इसके लिये समाज, राज्य तथा केन्द्र सरकार का निम्न तथ्यों पर ध्यान दिलाना चाहते हैंः–

- संसद में ''पदोन्नति में आरक्षण विधेयक'' पारित किया जाये तथा आरक्षण कानून बनाया जाये।

- पदोन्नति में आरक्षण का 16%+12%=28% कोटा पूर्ण होने के बाद जनरल सिनियोरिटी में वरिष्ठ तथा प्रारम्भिक भर्ती की सामान्य योग्यता सूची में वरिष्ठ आने वाले अजा, जजा वर्ग के कर्मचारियों को अनारक्षित कोटा में पदोन्नत नहीं किया जा रहा है जबकि ''अधिसूचना दिनांक 24.06.2008 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का कार्मिक सामान्य वरियता में आता है तो उसको पदोन्नति देय होगी''।

- जोन ऑफ कन्सिड्रेशन को समाप्त किया जाये तथा अजा, जजा के कर्मचारी जहां भी उपलब्ध है, पदोन्नत किया जाये।

- सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जावे।

- 6 पद से कम काडर स्ट्रेन्थ पर अजा, जजा के कर्मचारियों की पदोन्नति को सुनिश्चित किया जावे।

- बैकलॉग के पदों को समय सीमा में ईमानदारी से विशेष भर्ती अभियान के द्वारा भरा जाये तथा तीन वर्ष का राईडर नहीं लगाया जाये।

- अजा, जजा की जनसंख्या के अनुपात में 17+13=30% आरक्षण दिया जावे।

- विभागीय पदोन्नति समिति में अजा, जजा वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया जावे।

- निजीकरण, ठेकेदारी व सरकारी उद्योगों को बेचकर सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड़यंत्र समाप्त किया जाये एवं राजकीय सेवाओं के अतिरिक्त निजि क्षेत्र व सेवाओं में भी आरक्षण दिया जाये।

- उच्च वर्ग को प्राप्त धर्म आधारित आरक्षण समस्त समस्याओं की जड़ है, जिसका निराकरण सरकार व उच्च वर्ग द्वारा नहीं किया जा रहा है। धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाये।

- उच्च न्यायालय में एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है, वर्तमान में उच्च स्तर पर न्यायिक चयन प्रक्रिया दूषित है। अतः संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाये।

- न्यायिक सेवा में एससी, एसटी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाये।

- देश के आर्थिक संसाधनों के 85 प्रतिशत भाग पर 15 प्रतिशत तथाकथित सवर्ण लोगों का कब्जा है जबकि आर्थिक संसाधनों में सभी वर्गों की अनुपातिक भागीदारी होनी चाहिये।

- देश में एससी, एसटी वर्ग के उत्पीड़न में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। अतः एससी एसटी वर्ग के उत्पीड़न व अत्याचार की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जावें।

वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजाति पर जो अन्याय व अत्याचार हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के हितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जावेगा।

केन्द्र व राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2012, रविवार प्रातः 10.00 बजे उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास, जयपुर में महारैली का आयोजन किया जा रहा है।

साथियों संगठन में शक्ति है। प्रदेश के सामाजिक संगठन, सामान्य जन, छात्र संगठन तथा राजकीय व निजि सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर महारैली को सफल बनावे।

विनीतः

जे.पी.विमल (Retd. IAS)
अध्यक्ष मो. 9414027400

अशोक मीणा
कोषाध्यक्ष मो. 9414047988

ई. आशाराम मीणा
महासचिव मो. 9413380388

एवं समस्त कार्यकारिणी